राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षैत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित सडक–पुलिया/2018–19/५५५१५–२७ दि. 10/12/19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाडा ।

विषय– सीमेन्ट टाईल्स ईन्टरलॉकिंग कार्य की वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग– इस विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति कमांक 11000–30 दिनांक 28.02.2019 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम छापरिया पं.सं. बांसवाडा में सीमेन्ट टाईल्स ईन्टरलॉकिंग कार्य की सहायक अभियंता, पंचायत समिति बांसवाडा से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति अनुसार राशि रू. 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है –

कार्यकारी एजेन्सी–ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क्र.स.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	
		क्र./दि.	राशि
1	2	3	4
1	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम छापरिया पं.सं. बांसवाडा में सीमेन्ट टाईल्स ईन्टरलॉकिंग कार्य	45/2018-19	10.00

उपरोक्त कार्य की राशि 10.00 लाख आयुक्त कार्यालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता मद पूंजीगत अन्तर्गत अन्य जिलों की बचत राशि रू. 32.00 लाख में से परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को देय होगी। **कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जायेगा –**

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये एवं स्वीकृति कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
7. परियोजना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र कमांक 20728–80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यो की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।
8. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेंगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
9. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

Sd/-
(शिवांगी स्वर्णकार)IAS
आयुक्त

Letter 1 2019

P.T.O.

क्र. एफ.5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषित सडक–पुलिया/2018–19/५५९१५-२७ दि. 10/12/19

प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सहायक,माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाडा ।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि आयुक्त कार्यालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता पूंजीगत मद अन्तर्गत अन्य जिलों की बचत राशि रू. 32.00 लाख में से राशि 10.00 लाख रू. परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाडा को हस्तान्तरित करावें।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति बांसवाडा, जिला बांसवाडा।
6. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
8. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad@gmail.com., Website www.tad.rajasthan.gov.in